राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1663 / SEIAA/2022
Date: 23/9/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

विषय :– **प्रकरण क्र. 6770/2020** परियोजना प्रस्तावक श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाड़ी मोहल्ला, बड़ौद रोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12125 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 143, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खमरिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण पर 746वी SEIAA बैठक दिनांक 13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

उक्त खदान में हुई जनसुनवाई में ग्रामवासियों द्वारा खदान स्वीकृत ना किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गॉव की लगभग 2000 गायों के लिये गौशाला का निर्माण कराया गया है साथ ही यह भी आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त खदान से गॉव की 500 बीघा फसल भी खराब होगी एवं जलीय निकाय भी प्रदूषित होगा। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर रतलाम से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये। "

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया उक्त खदान में हुई जनसुनवाई में ग्रामवासियों द्वारा खदान स्वीकृत ना किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गॉव की लगभग 2000 गायों के लिये गौशाला का निर्माण कराया गया है साथ ही यह भी आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त खदान से गॉव की 500 बीघा फसल भी खराब होगी एवं जलीय निकाय भी प्रदूषित होगा। अतः उपरोक्तानुसार इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्रदान करने का कष्ट करें। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1664 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 23/9/22

प्रतिलिपि :–

1. श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाड़ी मोहल्ला, बड़ौद रोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र) की ओर सूचानार्थ।

सदस्य सचिव